छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, दिनांक 26 SEP 2022

क्रमांक::2742/एफ 12/02/2012/13/2:: छत्तीसगढ़ राज्य में 25 मेगावाट क्षमता तक की छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नीति–निर्देश एवं पारदर्शी आवंटन की प्रक्रिया हेतु ऊर्जा विभाग के आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2012 द्वारा 10 वर्षो हेतु दिशा–निर्देश जारी की गई है।

2/ राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त आदेश की कंडिका–16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त दिशा–निर्देश की कंडिका–15 में निहित अवधि में 10 वर्षो की और वृद्धि करती है।

3/ पूर्व में जारी दिशा–निर्देश की अन्य कंडिकाएं यथावत प्रभावशील रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अंकित आनंद)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग

पृ0 क्रमांक::2743**/एफ 26/01/2022/13/2** **नवा रायपुर, दिनांक** 26 SEP 2022

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली ।
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, रामाकृष्णापुरम सेक्टर–1 नई दिल्ली ।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय नवा रायपुर।
4. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय नवा रायपुर।
5. मुख्य सचिव के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
6. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, नवा रायपुर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग/जल संसाधन विभाग/राजस्व विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर।
8. .मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, ग्राम–फुण्डहर, रायपुर।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, शांति नगर, रायपुर।
10. मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ शासन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
11. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन/ट्रांसमिशन/डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी लिमिटेड डंगनिया रायपुर।
12. संचालक, शासकीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ शासन, राजनांदगांव की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित कर राजपत्र की 100 प्रतियां ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराने के अनुरोध सहित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन,ऊर्जा विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन
मंत्रालय : रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 23.02.2012

क्रमांक:253/ल.ज.वि.परि./उ.वि./2012:: राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 25 मेगावाट क्षमता तक की छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नीति–निर्देश एवं पारदर्शी आवंटन की प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी करती है:–

1. <u>नोडल एजेंसी:–</u>

छत्तीसगढ़ में 25 मेगावॉट क्षमता तक की छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सर्वे, अनुसंधान उपरांत परियोजना स्थल का चयन, नई छोटी जल विद्युत परियोजनाओं का चिन्हांकन एवं विकास आदि के लिए छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)राज्य की नोडल एजेंसी अधिकृत है।

2. <u>लघु जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश:–</u>

राज्य में 25 मेगावाट क्षमता तक की लघु एवं छोटी जल विद्युत परियोजनाओं का विकास नोडल एजेंसी (क्रेडा) द्वारा सामान्यतः निजी निवेश से कराया जाएगा । आवश्यकतानुसार नोडल एजेंसी भी स्वयं के स्त्रोत से अथवा निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त निवेश कर इन परियोजनाओं का विकास कर सकेगी ।

3. <u>परियोजना स्थल के चिन्हांकन एवं विकास की प्रक्रिया:–</u>

3.1 राज्य की नोडल एजेंसी (क्रेडा) द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से सर्वे एवं अनुसंधान उपरांत चिन्हित एवं चयनित 25 मेगावाट क्षमता तक की छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जा सकेगी। ऐसी परियोजनाएँ क्रेडा द्वारा चिन्हित परियोजनाएँ कहलायेंगी ।

3.2 निजी निवेशक द्वारा भी स्वयं के स्त्रोतों से नई परियोजना की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थल का चिन्हांकन कर परियोजना स्थापना हेतु राज्य नोडल एजेंसी को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते निजी क्षेत्र द्वारा चयनित स्थल पर परियोजना की स्थापना के कारण राज्य की सिंचाई अथवा पेयजल के लिए प्रस्तावित परियोजना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ऐसी परियोजनाएँ निजी क्षेत्र द्वारा चिन्हित परियोजनाएँ कहलायेंगी ।

3.3 क्रेडा अथवा निजी निवेशक द्वारा चिन्हांकित किसी भी परियोजना से राज्य की विचाराधीन जल विद्युत उत्पादन परियोजना, निर्माणाधीन जल संरचनाओं के अंतर्गत अन्य जल विद्युत परियोजनाएँ प्रभावित नहीं होना चाहिए।

4. आबंटन की प्रक्रिया :–

4.1.1 पात्रता – किसी भारतीय नागरिक, इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत पंजीकृत फर्म, पंजीकृत सहकारी संस्था एवं कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी को राज्य में छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता रहेगी। लेकिन 05 मेगावाट क्षमता तक के छोटी जल विद्युत परियोजना केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों अथवा उनके द्वारा गठित एवं संचालित पंजीकृत सहकारी संस्था, पार्टनरशिप एक्ट के तहत पंजीकृत फर्म, पंजीकृत कंपनी हेतु आरक्षित रहेगी।

4.1.2 आवेदक को क्रेडा द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय रूप से सक्षम होना चाहिए।

4.1.3 पांच (5) मेगावाट क्षमता तक की प्रस्तावित परियोजना के आवंटन हेतु आवेदक को कुल लागत का 10 प्रतिशत समतुल्य राशि के बराबर नेटवर्थ धारित होना चाहिए लेकिन पांच (5) मेगावाट से अधिक क्षमता की प्रस्तावित परियोजना के आबंटन हेतु आवेदक को कुल लागत का 20 प्रतिशत समतुल्य राशि के बराबर नेटवर्थ धारित होना चाहिए ।

4.2 शुल्क:–

4.2.1 क्रेडा द्वारा चिन्हित परियोजना की स्थापना हेतु आवेदन के साथ रुपये 15 प्रति किलोवाट की दर से प्रति परियोजना अधिकतम रुपये 5,00,000/– लेकिन न्यूनतम रुपये 10,000/– का शुल्क जमा करना होगा।

4.2.2 निजी क्षेत्र द्वारा चयनित परियोजना की स्थापना हेतु आवेदन के साथ रुपये 10 प्रति किलोवाट की दर से प्रति परियोजना अधिकतम रुपये 3,00,000/– लेकिन न्यूनतम रुपये 10,000/– का शुल्क जमा करना होगा।

4.2.3 आवेदक द्वारा क्रेडा को भुगतान किया गया शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

4.3 छोटी एवं लघु जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के आबंटन की प्रक्रिया एवं सीमा:–

4.3.1 क्रेडा द्वारा चिन्हित परियोजनाएँ:–

(अ) क्रेडा द्वारा चिन्हित परियोजना के आबंटन हेतु राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार पत्रों में आबंटन प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव आमंत्रित किए जायेंगे।

(ब) नोडल एजेंसी द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्ड पूर्ण करने वाले पात्र आवेदक का चयन निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा एवं निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने पर परियोजना आबंटित की जावेगी।

4.3.2 निजी क्षेत्र द्वारा चिन्हित परियोजनाएँ:–

(अ) निजी निवेशकों द्वारा चिन्हित परियोजना के लिए संबंधित निवेशक निर्धारित प्रारूप में क्रेडा को सीधे आवेदन जमा कर सकेंगे।

(ब) निजी निवेशक द्वारा चिन्हित परियोजना के आबंटन के पूर्व निर्धारित वित्तीय एवं तकनीकी मापदण्ड को पूर्ण किये जाने के संबंध में क्रेडा द्वारा परीक्षण किया जाएगा।

(स) किसी एक परियोजना के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उस लघु जल विद्युत परियोजना का आबंटन पात्र आवेदक को "प्रथम आओ प्रथम पाओ" नीति के आधार पर किया जाएगा।

4.3.3 पूर्व में प्रभावशील नीति के अंतर्गत आबंटित परियोजनाओं की स्थापना पर प्रभाव:–

(अ) इस नीति के प्रभावशील होने के पूर्व यदि किसी आवेदक ने उन्हें आबंटित छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु वित्तीय लेखाबंदी अथवा पर्यावरण स्वीकृति के अंतर्गत स्थापना सम्मति प्राप्त कर ली हैं तो ऐसी परियोजनाओं की स्थापना नई नीति के कारण अप्रभावित रहेगी।

(ब) पूर्व दिशा निर्देशों के तहत् आबंटित परियोजना के लिए संबंधित निवेशक को आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ एवं वित्तीय लेखाबंदी इन दिशा–निर्देशों के प्रकाशन की तिथि से 24 माह की अवधि की समाप्ति तक प्राप्त करना होगा। अन्यथा परियोजना आबंटन आदेश को निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही क्रेडा द्वारा की जा सकेगी।

4.3.4 आबंटन की सीमा:–

(अ) आवेदक को एक समय में अधिकतम दो परियोजनाएं जिनका कुल अधिकतम क्षमता 25 मेगावाट तक हो अथवा 25 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना का आबंटन किया जायेगा।

(ब) अधिकतम दो अथवा 25 मेगावाट क्षमता तक की छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के आबंटन की यह सीमा ऐसी कंपनियों पर भी लागू होगी जो कंपनी एक्ट 1956 (वर्ष 1956 का क्रमांक एक) की संगत धाराओं में एक ही प्रबंधन के रूप में परिभाषित है।

5. उत्पादित विद्युत के पारेषण हेतु विद्युत व्हीलिंग अथवा विद्युत प्रणाली का विकास:–

5.1 आवेदक द्वारा विकसित छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के पारेषण हेतु पारेषण लाइन की आवश्यकता होने पर उक्त लाइन की स्थापना हेतु वैधानिक अनुमतियाँ एवं विद्युत प्रणाली के विकास का दायित्व निवेशक पर होगा। इस हेतु संयंत्र के अंतर्गत प्रस्तावित स्वीचयार्ड से राज्य की निकटतम विद्युत पारेषण प्रणाली अथवा विद्युत वितरण प्रणाली अथवा अन्तर्राजीय विद्युत पारेषण प्रणाली तक आवश्यक विद्युत पारेषण लाइन की स्थापना हेतु विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने का दायित्व आवेदक पर रहेगा।

5.2 निवेशक को विद्युत अधिनियम 2003 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत लायसेंसी की अन्य विद्यमान विद्युत प्रणाली का उपयोग कर विद्युत के व्हीलिंग की अनुमति होगी। लेकिन इस हेतु आवेदक को नियमानुसार विद्युत व्हीलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा।

6. <u>छोटी एवं लघु जल विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त जल पर रायल्टी</u> :–

जल विद्युत के उत्पादन में प्रयुक्त जल पर रायल्टी रियायती दर अर्थात् केवल 06 पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित रहेगी।

7. <u>छोटी एवं लघु जल विद्युत परियाजनाओं में रियायत</u> :–

7.1 राज्य में प्रस्तावित छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं को राज्य की प्रभावशील औद्योगिक नीति के प्रावधानों के अनुसार विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट की पात्राता रहेगी।

7.2 25 मेगावाट क्षमता तक की छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं का राज्य में प्रभावशील औद्योगिक नीति में प्रावधित थ्रस्ट सेक्टर के उद्योगो को मिलने वाली रियायतें/सुविधाएं की पात्रता रहेगी ।

8. <u>छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजना के लिए भूमि आबंटन</u>:–

8.1 निवेशक को परियोजना हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

8.2 यदि परियोजना स्थल पर उपलब्ध शासकीय भूमि की आवश्यकता हैं तो उसके आबंटन हेतु शासन के नियमानुसार कार्यवाही जल संसाधन विभाग या राजस्व विभाग द्वारा की जायेगी। लेकिन इस हेतु निवेशक को एसआईपीबी के माध्यम से आवेदन करना होगा।

8.3 यदि परियोजना हेतु निजी भूमि की आवश्यकता है तो शासन के प्रभावशील नियमों के अंतर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही उद्योग विभाग या राजस्व विभाग द्वारा की जायेगी। लेकिन इस हेतु निवेशक को एसआईपीबी के माध्यम से आवेदन करना होगा ।

8.4 परियोजना से प्रभावित परिवारों को राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति के अंतर्गत विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराने का दायित्व आवेदक पर होगा। परियोजना प्रभावितों के विस्थापन एवं पुनर्वास की कार्ययोजना स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन में सम्मिलित करना होगा ताकि प्रभावित परिवारों को आदर्श पुनर्वास नीति के अंतर्गत प्रस्तावित सभी सुविधाएँ परियोजना से विद्युत उत्पादन प्रारंभ होने के पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त हो सके।

9. छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजना के लिए वैधानिक व आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करना:–

जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु सभी वैधानिक एवं आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने का दायित्व निवेशक पर है। अतः आवेदक को उन्हें आबंटित परियोजना हेतु सभी वैधानिक एवं आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण प्रारंभ करने की अनुमति रहेगी।

10. छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु समय–सीमा:–

आवेदक को परियोजना आबंटन की तिथि से 24 माह के भीतर परियोजना के विकास हेतु वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया अंतर्गत वित्तीय लेखाबंदी सुनिश्चित करना होगा तथा वित्तीय लेखाबंदी उपरांत अधिकतम 03 माह की अवधि में परियोजना का निर्माण प्रारंभ करना होगा। और निर्माण प्रारंभ करने की तिथि से अधिकतम 24 माह की अवधि में परियोजना की पहली इकाई से विद्युत का उत्पादन प्रारंभ करना होगा। आवेदक द्वारा वित्तीय लेखाबंदी अथवा परियोजना निर्माण हेतु निर्धारित उक्त समय–सीमा जो भी पहले हो, का पालन न करने पर क्रेडा द्वारा परियोजना कार्यों में हुए प्रगति के अनुसार परियोजना आबंटन आदेश को निरस्त करने पर विचार किया जा सकेगा।

11. छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत का क्रय :–

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–86 के अंतर्गत समय–समय पर प्रभावशील किए गए रिन्युवेबल पर्चेस आब्लिगेशन संबंधी रेग्युलेशन के पालन में राज्य की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन लघु एवं छोटी जल विद्युत परियोजनाएँ से उत्पादित विद्युत का क्रय बंधनकारी होगा। राज्य की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रथम अधिकार के अंतर्गत इन परियोजनाओं से विद्युत क्रय न करने पर निजी विद्युत उत्पादक स्वनिर्णय से अन्य को विद्युत का विक्रय कर सकेगा।

राज्य की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन परियोजनाओं से क्रय की जा रही बिजली की मात्रा एवं दर का निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग के रेग्युलेशन के अंतर्गत किया जाएगा।

12. परियोजना की प्रगति की समीक्षा:–

राज्य में प्रस्तावित छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना की प्रगति की समीक्षा ऊर्जा विभाग द्वारा समय–समय पर की जायेगी।

13. परियोजना आबंटन आदेश का हस्तांतरण:–

सामान्यतः परियोजना का आबंटन अहस्तांतरणीय है। अतः इन परियोजनाओं का विकास स्वयं आवेदक द्वारा किया जाना अनिवार्य है। तदनुसार परियोजना के आबंटन की तिथि से विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि उपरांत दो वर्ष की अवधि तक आवेदक पर निम्नानुसार प्रतिबंध लागू रहेंगे:–

(12)

यदि परियोजना का आबंटन किसी भारतीय नागरिक को किया गया है तो ऐसी अवस्था में परियोजना से विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक किसी अन्य को परियोजना का अंतरण क्रेडा की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

ii. यदि परियोजना का आबंटन इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत फर्म अथवा पंजीकृत सहकारी संस्था अथवा पंजीकृत सोसाइटी अथवा कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी को किया गया है तो ऐसी अवस्था में उक्त आबंटित परियोजना से विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक आबंटन के समय गठित शासी निकाय, प्राधिकारी अथवा संचालक मण्डल में कोई भी परिवर्तन क्रेडा की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

iii. आवेदक को परियोजना की स्थापना हेतु आवश्यक होने पर स्पेशल परपस व्हीकल (एसपीव्ही) के गठन की अनुमति होगी लेकिन उक्त एसपीव्ही को आबंटित परियोजना के विकास के अलावा अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। इस तरह गठित एसपीव्ही में आवेदक की अंशपूंजी कम से कम 51 प्रतिशत होनी आवश्यक है।

iv. परियोजना की स्थापना हेतु जारी आबंटन आदेश की शर्तों के अधीन परियोजना का निर्माण एवं संचालन किया जा सकेगा।

14. <u>पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों का निरसन एवं आबंटन पर प्रभाव:–</u>

पूर्व में जारी नीतिगत दिशा निर्देश इस नये नीतिगत निर्देशों के जारी होने की तिथि से निरसित हो जाऐंगे लेकिन पूर्व नीति निर्देशों के अंतर्गत प्राप्त व अनिर्णित आवेदनों को निरस्त कर संबंधित परियोजनाओं का आबंटन इन नीति निर्देशों के अंतर्गत किया जा सकेगा।

15. राज्य में छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं के प्रोत्साहन हेंतु उपरोक्त दिशा–निर्देश अधिसूचना जारी होने की तिथि से 10 वर्ष तक प्रभावशील रहेंगे। इस अधिसूचना जारी होने तक पूर्व नीति प्रभावशील रहेगी।

16. उपरोक्तानुसार जारी नीति निर्देश में ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन समय–समय पर आवश्यक संशोधन कर सकेगा।

17. उक्त नीति में उल्लेखित प्रावधान या बिन्दु पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा।

(उमेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त सचिव
छ.ग. शासन
ऊर्जा विभाग

125

पृ.क्रमांक: 254 /ल.ज.वि.परि./उ.वि./2012 रायपुर, दिनांक 23.02.2012

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, रायपुर,
2. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर,
3. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
4. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
5. सचिव, मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर,

— सरल क्रमांक 1 से 5 की ओर सूचनार्थ।

6. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत होल्डिंग/वितरण/उत्पादन/पारेषण/ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित, रायपुर,
7. निदेशक, छ0ग0 अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), रायपुर
8. अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, बैरन बाजार, रायपुर

— सरल क्रमांक 6 से 8 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशन हेतु। कृपया राजपत्र में प्रकाशित कर 200 प्रतियां ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध है।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ शासन
ऊर्जा विभाग